

रीडर
उपखण्ड अधिकारी

24.1.23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी-
गण के सम्मन बाहू तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे
शा.प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार स्क
स्क कर आवाजे दिलाये जाने के बाद भी उप-
स्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकतरफ़ु कार्यवाही
किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रथक
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली कैंसल नुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 175/22 प्रा०पत्र

अमीन शं. गोहगद हुसैन मुसलमान निवासी- बुहारिया तहसील-माण्डल [कौरा]

-प्रार्थी

बनाम

हफिज खां शं. श्री कौर खां मुसलमान निवासी- बुहारिया तहसील-माण्डल [कौरा]
(संबंधित प्रा० पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 24-01-23

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम **बुहारिया** पटवार हल्का **बुहारिया** तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं **2731, 2733, 2734** कुल कित्ता **04** रकबा **1.6819** स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **21-11-22** को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का प्रार्थी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते सर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर **बुहारिया** पटवार **बुहारिया** तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं **2731, 2733, 2734, 3416/2472** कित्ता **04** रकबा **1.6819** हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख तक **बुहारिया** को **600/-** रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने तक कौकुरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार पत्र पत्थरगद्दी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल जिला भीलवाड़ा

नोट:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी